न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 02/2018 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00002

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
सुजाराम पुत्र श्री नेनारामजी, जाति सिरवी (चौधरी), निवासी ग्राम वड़ेरावास, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)		1. डूंगाराम पुत्र श्री नेनारामजी, जाति सिरवी (चौधरी), निवासी ग्राम वड़ेरावास, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान) 2. ग्राम पंचायत खैरवा, तहसील पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र मेवाड़ा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 20/9/21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत खैरवा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 19 दिनांक 24.7.1961 लिया जाकर उसकी पालना में पट्टा संख्या 3 जारी किया गया उन्हें निरस्त कराने हेतु पेश की गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर ग्राम पंचायत खैरवा का रेकर्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा संख्या 03 बिना प्रस्ताव व बिना मिसल कायम किए जारी कर दिया गया है जो निरस्त योग्य है। पंचायत से मिसल व मूल पट्टा बुक प्रेषित नहीं करना सिद्ध करता है कि मिसल कायम नहीं की गई एवं राजस्थान पंचायत राज नियमों की पालना भी नहीं की गई एवं पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत खैरवा से 2 प्रस्ताव रजिस्टर सन् 1961 के प्राप्त हुए है जिनमें से एक में 24.7.1961 को पंचायत की बैठक ही आहूत नहीं की गई इसलिए प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया है लेकिन दूसरे रजिस्टर में दिनांक 24.7.1961 को बैठक हुई उसकी कार्यवाही दर्ज है। जिसमें डूंगाराम पुत्र नैनाराम जी के नाम का किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है एवं पट्टा जारी कर दिया जो विधीविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व भूखण्ड का मौका नहीं देखा गया। आपत्ति नोटिस जारी नहीं किया गया न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। बयान भी किसी के नहीं लिए गए है। इस प्रकार किसी भी नियमों की पालना नहीं कर सीधा ही अप्रार्थी डूंगाराम के नाम पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है।

अप्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से बहस हेतु कोई भी आवाजे लगवाने के बावजूद भी वकालतन व असालतन उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गई। ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत ने मिसल नहीं होने व पट्टा नहीं होने बाबत न्यायालय को जरिये पत्रांक 2017–18/SP–01 दिनांक 06.2.2017 के अवगत कराया गया था। एवं मात्र दो प्रस्ताव रजिस्टर ही इस न्यायालय को प्रेषित किए गए है। जिसमें एक प्रस्ताव रजिस्टर अनुसार ग्राम पंचायत खैरवा की दिनांक 24.7.1961 को बैठक ही नहीं हुई न ही उक्त दिनांक को प्रस्ताव पारित किया गया है। दूसरे रजिस्टर में दिनांक 24.7.1961 को बैठक कार्यवाही होना अंकित है लेकिन डूंगाराम पुत्र नैनाराम [illegible] के नाम पट्टा जारी करने सम्बन्धी प्रस्ताव का अंकन नहीं है अ[illegible] दि[illegible] 24.7.1961 को डूंगाराम के पक्ष में पट्टा जारी करने का [illegible] एवं बिना पंचायत कोरम में प्रस्ताव लिए पट्टा जा[illegible] [illegible]मत नहीं होने से प[illegible]रस्त योग्य है। इस प्रकार डूंगाराम को पट्टा जारी [illegible] का प्रस्ताव नहीं ले[illegible] तकनिकी त्रुटी होने से तथाकथित प्रस्ताव संख्या 19 दिनांक 24.7.1961 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3 निरस्त किए जाने न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:23:56 IST
Reason: SelfAttested

क्रमश.....................2

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं डूंगाराम पुत्र नेनाराम सीरवी निवासी बडेरावास के हक में लिया गया तथाकथित प्रस्ताव संख्या 19 दिनांक 24.7.1961 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3 निरस्त किए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:23:56 IST
Reason: SelfAttested